

मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 अंतर्गत “सिनेमा हॉल के अनुदान प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रक्रिया, नियम, एवं निर्देशों का प्रारूप”

मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 के अंतर्गत नवीन एकल स्क्रीन सिनेमाघर की स्थापना, मौजूदा सिनेमाघर के पुर्नउद्धार एवं बन्द पड़े सिनेमाघरों को फिर से क्रियाशील करने पर किये गये अद्धतन कार्य हेतु पात्र परियोजनाओं तथा मल्टीप्लेक्स की स्थापना पर पूंजीगत अनुदान की गणना हेतु पूंजीगत व्यय को परिभाषित करने, आवेदन पत्र एवं चैकलिस्ट निर्धारण तथा अनुदान स्वीकृति व वितरण प्रक्रिया तय करने बावत्।

1. मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 में वर्णित पात्र सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स परियोजनाओं में अनुदान की गणना हेतु पूंजीगत निवेश से तात्पर्य उस व्यय से लिया जायेगा जो नवीन परियोजना की स्थापना, पूर्व से बन्द सिनेमाघर का पुर्नउद्धार कर फिर से क्रियाशील हेतु आवश्यक स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फिल्म प्रसारण/स्क्रीनिंग हेतु स्थापित किये गये उपकरणों की स्थापना किया गया हो। अतः निम्नानुसार मदों में कुल पूंजीगत व्यय को अनुदानों की गणना हेतु मान्य एवं अमान्य योग्य पूंजीगत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है :-

2.1 मान्य पूंजीगत व्यय (मूल पूंजीगत व्यय)

- 2.1.1 परियोजना हेतु निर्मित स्थायी भवन की निर्माण लागत जो इकाई के स्वामित्व अथवा न्यूनतम 30 वर्ष या उससे अधिक के लीज पर ली गई हो, इकाई के स्वामित्व की भूमि पर स्थित हों एवं जिनका इकाई के सुचारु संचालन हेतु निर्मित किया जाना आवश्यक हो।
- 2.1.2 बाउंड्री वॉल
- 2.1.3 अंदरूनी सड़कें, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार
- 2.1.4 स्टोर
- 2.1.5 किचिन/पेन्ट्री एरिया
- 2.1.6 जल प्रदाय व्यवस्था (पाइप लाईन, टंकी, पंप-हाउस, जल शोधन संयंत्र आदि)

- 2.1.7 प्रोजेक्शन रूम एवं आवश्यक उपकरण
- 2.1.8 वायु एवं जल प्रदूषण उपचार हेतु स्थापित संयंत्र, इंसीनरेटर आदि
- 2.1.9 सेंट्रलाईज एयर कंडिशनिंग सिस्टम,
- 2.1.10 पॉवर सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर, विद्युत लाईन, विद्युत पोल
- 2.1.11 डी.जी. पावर बैकअप (स्वयं के उपयोग हेतु)
- 2.1.12 दूरसंचार की व्यवस्था- (स्वयं के उपयोग हेतु स्वयं स्थापित)
- 2.1.13 इलेक्ट्रिक लाईनिंग, वॉटर सप्लाई लाईनिंग, गैस/स्टीम सप्लाई लाईनिंग
- 2.1.14 स्थाई रूप से स्थापित साउंड, लाइट, पब्लिक एड्रेस एवं इंटरनेट सिस्टम व नेटवर्क।
- 2.1.15 अग्नि-शमन संयंत्र/सिस्टम एवं फायर ब्रिगेड
- 2.1.16 किचिन, लॉबी/कॉमन एरिया, टिकिट विन्डो (बॉक्स आफिस), अमानती सामान गृह आदि अधोसंरचनाओं में स्थायी रूप से अथवा स्थापित ऐसी मशीनरी एवं संयंत्र जिनके बिना उपयोगिता अनुसार आवश्यक कार्य करना संभव न हो
- 2.1.17 स्क्रीनिंग हॉल, प्रोजेक्शन स्क्रीन (फिल्मांकन पर्दे) का साईज, ध्वनि निरोधन (साउण्ड प्रूफिंग), ध्वनि प्रणाली, स्थाई कुर्सियों की संख्या, आगमन एवं निकास द्वार आदि
- 2.1.18 ऐसे अन्य स्थायी निर्माण/संयंत्र मशीनरी/टूल-उपकरण जो परियोजना पूर्ण करने के लिये अथवा संचालन हेतु अतिआवश्यक हो
- 2.1.19 तकनीकी ज्ञान अर्जन (Technical Know-How) शुल्क एवं कंसलटेन्सी चार्जस (कुल निर्माण लागत के 2% अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो)
- 2.1.20 विभिन्न अनुमतियां एवं कनेक्शन आदि प्राप्त करने के लिये जमा की गई स्थाई सिक्योरिटी डिपोजिट आदि
- 2.1.21 प्रथम बार मशीनरी/उपकरण के इंस्टॉलेशन के व्यय
- 2.1.22 संबंधित फिल्म पर्यटन परियोजना की परिभाषा अनुसार स्थापना हेतु निर्मित आवश्यक अधोसंरचना, साधन, यंत्रोपकरण, संयंत्र, टूल्स, एसेसरीज आदि
- 2.1.23 सिनेमाघर की भूमि को पहुंच मार्ग से जोड़ने हेतु बनाई गयी आन्तरिक सड़क, विद्युत प्रदाय हेतु किया गया व्यय जिसमें सब-स्टेशन निर्माण सम्मिलित होगा, जल प्रदाय हेतु डाली पाइप लाइन, बनाई पानी की टंकी, जल-मल/ सीवेज निकासी हेतु डाली गयी पाइप लाइन/बनाये गये सिस्टम आदि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (जन उपयोगी) पर किया गया स्थाई पूंजी निवेश स्थापना व्यय सहित।
- 2.1.24 सिनेमाहॉल का निर्माण अगर किसी अन्य वाणिज्यिक संस्थान/भवन जैसे मॉल, होटल, मार्केट, जिम या अन्य प्रतिष्ठानों के साथ किया जाता है तो, ऐसी स्थिति में सिनेमाहॉल के लिए किए गए भवन निर्माण के क्षेत्रफल अनुसार कुल लागत को अनुपातिक मूल्य के आधार पर पूंजीगत अनुदान की गणना के लिए मान्य किया जाएगा।

2.1.25 सिनेमाहॉल का निर्माण अगर किसी अन्य वाणिज्यिक संस्थान/भवन जैसे मॉल, होटल, मार्केट, जिम या अन्य प्रतिष्ठानों के साथ किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसी अधोसंरचनाओं (लिफ्ट/पार्किंग/सेन्ट्रलाईज वातानुकूलित सिस्टम/इलेक्ट्रिकल फिटिंग आदि) के लिए किया गया व्यय जिनका उपयोग समस्त प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है/किया जाएगा। ऐसी अधोसंरचनाओं पर किया गया व्यय सिनेमाहॉल के लिए किए गए भवन निर्माण के क्षेत्रफल अनुसार कुल लागत को अनुपातिक मूल्य के आधार पर पूंजीगत अनुदान की गणना के लिए मान्य किया जाएगा।

2.1.26 पार्किंग व्यवस्था

2.1.27 सौर उर्जा/ बायो उर्जा प्रणाली

2.1.28 आपातकालीन निकास व्यवस्था

2.2 अनुदान हेतु अमान्य योग्य पूंजीगत व्यय (अन्य पूंजीगत व्यय)

2.2.1 भूमि का मूल्य

2.2.2 साइट डेवलपमेंट, गार्डन, लैंड स्केपिंग आदि

2.2.3 कार्यशील पूंजी

2.2.4 प्रीआपरेटिव एवं प्रिलिमिनरी व्यय

2.2.5 सेकेण्ड हैंड मशीनरी

2.2.6 ब्याज का पूंजीकरण

2.2.7 ट्रक, कार, वेन, पोलो कार्ट, ट्रेलर, ट्रेक्टर ट्राली, टैंकर और परिवहन के वाहन जो यातायात से संबंधित हो

2.2.8 उपभोग्य स्टोर्स स्कन्ध जो मरम्मत से संबंधित हो

2.2.9 लीज पर ली गयी संपत्तियां (भूमि को छोड़कर)

2.2.10 फर्नीचर और फिक्चर्स कटलरी, क्राकरी, बर्तन, पेंटिंग्स, सजावटी वस्तुएं, पंखे, हीटर, गीजर, स्प्लिट एवं विंडो एसी, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, कॉरपेट, परदे एवं फर्नीशिंग इत्यादि पर किया व्यय

2.2.11 ऐसी कोई भी संपत्ति जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो

2.2.12 व्यावसायिक प्रयोजन से निर्मित दुकाने, आवास आफिस आदि जो इकाई के स्वयं के उपयोग में न लिए जा रहे हों तथा जिनका बनाया जाना इकाई के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक न हो।

2.2.13 ऐसे सभी अन्य व्यय जो मान्य सूची में नहीं हैं।

2.3 कुल पूंजीगत व्यय-

उपरोक्त 2.1 एवं 2.2 अनुसार मदों पर फिल्म पर्यटन परियोजना स्थापना हेतु किया गया पूंजीगत व्यय कुल पूंजीगत व्यय माना जायेगा।

3. उपरोक्त के साथ ही अनुदान प्रक्रिया एवं पात्रता व पूंजीगत व्यय प्रमाणीकरण के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था नियत की जाती है:-

- 3.1 अनुदान का ऑन-लाइन/इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, इकाई द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्था/बैंक को किया जावेगा (यदि इकाई द्वारा प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये ऋण लिया है)
- 3.2 यदि इकाई द्वारा प्रस्तुत परियोजना पर केन्द्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त किया गया है तो इसकी जानकारी इकाई को प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड को देनी होगी तथा इकाई को प्राप्त राशि घटाकर अनुदान की गणना की जायेगी। जानकारी छिपाये जाने की दशा में अनुदान राशि वसूली योग्य होगी।
- 3.3 यदि कभी भी यह प्रमाणित होता है कि, आवेदक द्वारा तथ्यों को छुपाकर अथवा गलत जानकारी देकर अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान स्वीकृति निरस्त कर, प्रदत्त अनुदान राशि की वसूली शासन के बकाया राजस्व की भांति की जायेगी। इस संबंध में निर्णय लेने व कार्यवाही करने के लिए प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड अधिकृत होंगे।
- 3.4 ऐसे पूंजीगत व्यय को अनुदान गणना हेतु पात्र माना जायेगा, जो परियोजना के पूर्ण होकर व्यावसायिक गतिविधि प्रारंभ होने के दिनांक तक किया गया हो।
- 3.5 पूंजीगत व्यय के संबंध में इकाई को उपरोक्तानुसार बिंदु क्रमांक 2.1 एवं 2.2 में दर्शित मदों पर उपरोक्त कंडिका 3.3 की अवधि में किये गये व्यय के संबंध में मदवार व्यय सूची सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र मूल प्रति में निर्धारित प्रारूप (संलग्न परिशिष्ट-1) में प्रस्तुत करना होगा।
- 3.6 पूंजीगत अनुदान की पात्रता निवेशकर्ता को होगी। लीज पर परिसंपत्तियां लेकर परियोजना संचालन करने वाली इकाई अनुदान की पात्रता नहीं रखेगी। तथापि निवेशकर्ता को स्वतंत्रता होगी की वह परियोजना का संचालन किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराये।
- 3.7 स्वीकृत पूंजीगत अनुदान का भुगतान 3 वर्षों में निम्न शर्तों के आधार पर किया जाएगा-
 - अ. स्वीकृत पूंजीगत अनुदान का 40% राशि, अनुदान स्वीकृत होने वाले वर्ष में
 - ब. स्वीकृत पूंजीगत अनुदान का 30% राशि इकाई के निरंतर संचालन के स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (आवश्यक प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करने पर, अनुदान स्वीकृति होने के द्वितीय वर्ष में

स. स्वीकृत पूँजीगत अनुदान का 30% राशि इकाई के निरंतर संचालन के स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (आवश्यक प्रमाण के साथ) प्रस्तुत करने पर, अनुदान स्वीकृति होने के तृतीय वर्ष में

3.8 अनुदान प्राप्त इकाई का निरंतर संचालन-

- (i) पर्यटन नीति के अंतर्गत पूँजीगत अनुदान व अन्य कोई अनुदान प्राप्त इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह ऐसा अनुदान प्राप्त करने के दिनांक से 03 वर्षों के लिये निरंतर संचालित रखी जाये। ऐसी इकाईयों को अनुदान प्राप्त करने के उपरांत यह आवश्यक होगा कि वे प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक अपने कार्यरत रहने के प्रमाण में स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (Self-declaration) प्रस्तुत करें।

उपरोक्त अनुसार पालन न होने पर इकाई को निम्नानुसार अनुदान राशि विभाग को लौटानी होगी-

- अ. अनुदान प्राप्ति के एक वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 80% (अनुदान) राशि।
 - ब. अनुदान प्राप्ति के 02 वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 60% (अनुदान) राशि।
 - स. अनुदान प्राप्ति के 03 वर्ष से पूर्व इकाई का संचालन बंद करने पर 50% (अनुदान) राशि।
- (ii) पूँजीगत अनुदान हेतु पात्र इकाई को इकाई प्रारंभ करने के दिनांक से 01 वर्ष के भीतर आवेदन करना आवश्यक होगा।
- (iii) पूँजीगत अनुदान हेतु इकाई प्रारंभ होने के अधिकतम 03 वर्ष पूर्व किया निवेश ही अनुदान गणना हेतु मान्य किया जायेगा।

3.9 अनुदान क्लेम हेतु आवेदन पत्र एवं चेकलिस्ट संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार निर्धारित किया जाता है।

3.10 अनुदान प्रकरण निराकरण एवं अनुदान वितरण हेतु संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

3.11 अनुदान प्रकरण निराकरण प्रक्रिया के पालन हेतु प्रारूप आदि निर्धारण व अन्य आवश्यक अनुदेश आदि जारी करने हेतु अध्यक्ष फिल्म फैसिलिटेशन सेल (प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड) अधिकृत होंगे।

संलग्न - परिशिष्ट 1, 2 एवं 3

परिशिष्ट -1

मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 के अंतर्गत पूंजीगत अनुदान प्राप्ति हेतु पात्र फिल्म पर्यटन परियोजना की स्थापना हेतु किये गये पूंजीगत व्यय का चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि पूंजीगत अनुदान हेतु आवेदक इकाई मेसर्स द्वारा स्थान..... पर मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 की कंडिका 19 अनुसार अनुदान हेतु पात्र परियोजना स्थापित की गयी है। इस परियोजना द्वारा दिनांक से व्यावसायिक कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना में व्यावसायिक कार्य प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया पूंजीगत व्यय निम्नानुसार है:-

क्र0	पूंजीगत व्यय का मद	व्यय राशि रु. में
1.	मूल पूंजीगत व्यय	
1.1	परियोजना हेतु निर्मित स्थायी भवन की निर्माण लागत	
1.2	बाउंड्री वॉल, पार्किंग	
1.3	अंदरूनी सड़कें, ड्रेनेज, प्रवेश द्वार	
1.4	स्टोर	
1.5	किचिन/पेन्ट्री एरिया	
1.6	जल प्रदाय व्यवस्था (पाइप लाइन, टंकी, पंप-हाउस, जल शोधन संयंत्र आदि)	
1.7	प्रोजेक्शन रूम एवं आवश्यक उपकरण	
1.8	वायु एवं जल प्रदूषण उपचार हेतु स्थापित संयंत्र, इंसीनरेटर आदि	
1.9	सैंट्रलाईज एयर कंडिशनिंग सिस्टम, वॉटर हीटिंग सिस्टम	
1.10	पॉवर सब-स्टेशन, ट्रांसफार्मर, विद्युत लाइन, विद्युत पोल	
1.11	डी.जी. पावर बैकअप (स्वयं के उपभोग हेतु)	
1.12	दूरसंचार टॉवर (स्वयं के उपभोग हेतु स्वयं स्थापित)	
1.13	इलेक्ट्रिक लाईनिंग, वॉटर सप्लाई लाईनिंग, गैस/स्टीम सप्लाई लाईनिंग	
1.14	स्थाई रूप से स्थापित साउंड, लाइट, पब्लिक एड्रेस एवं	

	इंटरनेट सिस्टम व नेटवर्क, सी.सी. टी.वी. व्यवस्था	
1.15	विभिन्न अनुमतियां एवं कनेक्शन आदि प्राप्त करने के लिये जमा की गई स्थाई सिक्योरिटी डिपोजिट आदि	
1.16	अग्नि-शमन संयंत्र, सिस्टम एवं फायर ब्रिगेड	
1.17	किचिन, लॉबी/कॉमन एरिया, टिकिट विन्डो (बॉक्स आफिस), अमानती सामान गृह आदि अधोसंरचनाओं में स्थायी रूप से अथवा स्थापित ऐसी मशीनरी एवं संयंत्र जिनके बिना उपयोगिता अनुसार आवश्यक कार्य करना संभव न हो, से सम्बंधित व्यय	
1.18	स्क्रीनिंग हॉल, प्रोजेक्शन स्क्रीन (फिल्मांकन पर्दे), ध्वनि निरोधन (साउण्ड प्रूफिंग), ध्वनि प्रणाली, स्थाई कुर्सियाँ , आगमन एवं निकास द्वार आदि से सम्बंधित व्यय	
1.19	ऐसे अन्य स्थायी निर्माण/संयंत्र मशीनरी/ टूल-उपकरण जो परियोजना पूर्ण करने के लिये अथवा संचालन हेतु अति आवश्यक हो, से सम्बंधित व्यय	
1.20	तकनीकी ज्ञान अर्जन (Technical Know-How) शुल्क एवं कंसलटेन्सी चार्जस (कुल निमार्ण लागत के 2% अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो)	
1.21	प्रथम बार मशीनरी/उपकरण के इंस्टॉलेशन के व्यय	
1.22	संबंधित फिल्म पर्यटन परियोजना की परिभाषा अनुसार स्थापना हेतु निर्मित आवश्यक अधोसंरचना, साधन, यंत्रोपकरण, संयंत्र, टूल्स, एसेसरीज आदि से सम्बंधित व्यय	
1.23	सौर उर्जा/ बायो उर्जा प्रणाली	
1.24	आपातकालीन निकास व्यवस्था	
	योग	
2	अन्य पूंजीगत व्यय	
2.1	भूमि का मूल्य	
2.2	साइट डेवलपमेंट, गार्डन, लैंड स्केपिंग आदि	
2.3	कार्यशील पूंजी	
2.4	प्रीआपरेटिव एवं प्रिलिमिनरी व्यय	
2.5	सेकेण्ड हैंड मशीनरी	
2.6	ब्याज का पूंजीकरण	

2.7	ट्रक, कार, वेन, पोलो कार्ट, ट्रेलर, ट्रेक्टर ट्राली, टैंकर और परिवहन के वाहन जो यातायात से संबंधित हो।	
2.8	उपभोग्य स्टोर्स स्कन्ध जो मरम्मत से संबंधित हो	
2.9	लीज पर ली गयी संपत्तियां	
2.10	फर्नीचर और फिक्चर्स कटलरी, क्राकरी, बर्तन, पेंटिंग्स, सजावटी वस्तुएं, पंखे, हीटर, गीजर, स्प्लिट एवं विंडो एसी, पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र, कार्पेट, परदे एवं फर्नीशिंग इत्यादि पर किया गया व्यय	
2.11	ऐसी कोई भी संपत्ति जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो	
2.12	व्यावसायिक प्रयोजन से निर्मित दुकाने, आवास, आफिस आदि जो इकाई के स्वयं के उपयोग में न लिए जा रहे हों तथा जिनका इकाई के संचालन में उपयोग नहीं हो रहा है, पर किया गया व्यय	
	योग	
3.	कुल पूंजीगत व्यय बिंदु 1+2	
4.	पूंजी व्यवस्था	
4.1	बैंक/वित्तीय संस्था का नाम एवं प्राप्त ऋण राशि	
4.2	स्वयं इकाई की अंशदान राशि	
4.3	अन्य स्रोतों से प्राप्त (स्रोत सहित)	
	योग	

प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाण पत्र अनुसार व्यय इकाई के लेखों, लेजर, बैंक खातों से सत्यापित किया गया है। उपरोक्त मदवार व्यय की पृथक-पृथक सूची प्रमाण पत्र के साथ संलग्न की गई है। व्यय उन्हीं मदों का प्रभावित किया गया है जिन पर वास्तविक व्यय किया जा चुका है व अधोसंरचना/निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

प्रमाण पत्र जारी करने का
दिनांक
स्थान

हस्ताक्षर
चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म का नाम, पंजीयन
क्र. एवं सदस्यता क्र. यूनिफ कोड नं.
पता एवं सील

परिशिष्ट-2

Annexure – 2

Application form for Claiming Capital Subsidy

(Under Clause no. 19 of Madhya Pradesh Film Tourism Policy 2020)

1	Please select the Category of the Project as per clause no. – 19) ○ Single-screen cinemas ○ Revival of Closed and upgrading existing Cinema Halls ○ Setting up of Multiplexes	
2	Brief description about the project:- (Not more than 60 words)	
3	Name and style of Unit:-	
4	PAN number	
5	Complete Postal Address of Unit with Pin Code, Telephone, Mobile No, Fax and Email Id:-	
6	Name of the Promoters/ owners/ company with a brief note on the business antecedents:- (Not more than 60 words)	
7	Name of legally authorized person on behalf of the unit to sign this application and subsidy papers, Designation, Mobile number and Email id:-	
8	Status of Owner / Promoter	
	a) If public/private limited company with copies of Memorandum and Articles of Association	
	b) If partnership, a copy of partnership Deed and Certificate of Registration	
	c) If proprietary concern, name and address of proprietor/certificate of registration	
	d) In case of legal entity other than above a,b,c. Furnish the details and registration from competent authority.	
9	Registration number and date of establishment of certified firm/company/or other legal entity.	
10	Location of Unit with Postal address:- (with Place, Tehsil and District)	
11	Detail of Site:-	
	a) Land Record – Ownership Documents, Approved Khasra Map, Area	

	b) Title – Owned / Leased with copies of sale / lease deed		
12	Detail of project approvals:- a) Date of the building permission and name of appropriate authority:- (Attach copies)		
	b) Copy of the Map approved by the concerned authority:-		
13	Details of construction and installation of plot & machinery etc.		
	Area/Building Infrastructure detail	Numbers	Size/Capacity
i	Total Area of -		
	a. Land		
	b. Building		
	c. Cinema/Multiplex		
ii	Total build up area		
	a. Cinema/Multiplex		
	b. Other		
iii	Open space area		
iv	No. of Floor		
v	No. of Projection Screen		
vi	No. of Seats/Chair per screen		
vii	Common Area/Lobby		
viii	Projection Room		
ix	Emergency Exit		
x	Restaurant/Pantry		
xi	Toilet and Restroom		
xii	Box office/ Ticket Counter		
xiii	Cloak room/ store room/ Machinery room/ Office etc.		
xiv	Total Vehicle Parking		
	a. Alloted for cinema-hall		
	b. Alloted for others		
xv	Other infrastructure created which necessary to run and operate the project.		
xvi	Details of equipments & machinery apparatus installed in projection room, which is necessary to run/operate the project.		
xvii	Details of equipments & machinery apparatus installed in Screening Hall, which is necessary to run/operate the project.		
xviii	Details of common infrastructure road/power/water/ savage etc.		

		created (if the land is given by the department)			
14	Capital Structure				
	a) Total capital cost incurred (as certified by certified Engineer/Valuer) i) Cost of total buildup area :- ii) Cost of total area of cinema-hall/multiplex:-				
	b) Total Project Cost (As certified by certified CA) (in INR) i) Cost of Land :- ii) Cost on building/other construction :- iii) Cost of machinery and other:- components iv) Other fixed assets :- v) Working capital :- Total :-				
	c) Financial arrangements (in INR) I) Loan from bank/financial institution ii) Share/promoters contributions iii) Name of bank/financial institution (Specify the details: - account number, IFSC code, bank and branch name etc.)				
15	Expenditure incurred/investment made on the project - as on date of commercial operation				
	i	Land and site development	INR		
	ii	Building and construction	INR		
	iii	Installation of equipment/ machinery/apparatus etc.	INR		
	iv	Creation of project specific (please specify) other Construction/ infrastructure/ installation	INR		
	v	Creation of common infrastructure i.e. road, power, water and sewage (if the land is provided by the department)	INR		
	vi	Any other expenditure (please specify)	INR		
16	Capital expenditure on which subsidy is being claimed. This should be in accordance with the attached annexure-1 (C.A. certificate to be attached)		INR		
17	Subsidy claimed		INR		
18	Proof of date of commercial operation a) Proof of first day of operation :- b) Copy of first ticket sold :- c) Copy of first bill of service/facility provided				

	d) Any other legally acceptable proof to prove the date of Commercial operation	
19	List of Employees with copy of their Aadhar/EPFO Reg. certificate (If applicable)	
20	FSSAI Certificate if Cafeteria/Food & Beverage facility is available	
21	NOC from Pollution Control Board /Fire safety Dept./ Competent authority/Local Body	
22	Colored Photographs of Unit/Project from 06 different angles (03 building & 03 Screening-Projection area)	
23	Detail of capital subsidy claimed/received from any other department of central Govt./state Govt. for this project	
24	Any other information, applicant feels necessary to be given for the claim.	
Note :- 1. All documents must be valid at the time of application. 2. All copies of documents submitted must be self attested . 3. Madhya Pradesh Tourism Board can call for any additional documents, if required, from time to time. 4. The application form should be filled completely in all respect and requisite document should be attached with the application.		

Declaration

I/We.....hereby undertake that :
I/we will abide by other conditions which may be stipulated by the Ministry of Tourism, Government of India and Government of Madhya Pradesh.

I/we hereby declare that above statements and enclosed documents are true and correct to the best of my/our knowledge and belief. I/We fully understand that any subsidy amount granted to me/us on the basis of the statement/documents furnished is liable to withdrawn and recovered with interest/penalty as decided by the authority as the case may be the government may impose or any other action that may be taken having regard to the circumstances of the case, If it is found that any of the statements/ documents therein are incorrect or false.

Seal and Signature
(with Name,Address,Email ID and
Contact Number of the authorised person)

Place :

Date :

Checklist of Documents

S.No.	Documents	Remark
1	Name of the Promoters with a brief note on the business antecedents :- (in not more than 60 words)	
2	Copy of proof of legal authorized person from unit	
3	Status of Owner/Promoter	
	A) If public/private limited company with copies of Memorandum and Articles of Association	
	Or	
	B) If partnership, a copy of partnership Deed and Certificate of Registration	
	Or	
	C) If proprietary concern, name and address of proprietor/certificate of registration	
	Or	
	D) In case of legal entity other than above a,b,c. Furnish the details and registration from competent authority.	
4	Copy of certificate of establishment of firm/company	
5	Copies of Land Records	
	A) Ownership Documents	
	I. Certified Khasra	
	II. Site Map	
	B) Title - copy of registered sale deed or lease deed	
6	Copy of project report	
7	Copy of certificate from town and country planning (TNCP)	
8	Copy of map sanctioned by the local authority (Municipal Corporation, Municipality etc.)	
9	Copy of the building permission granted by the appropriate authority	
10	Copy of Approved floor plan	
11	Completion certificate from competent authority	
12	Total project cost certificate certified by certified Engineer/Valuer	
13	Total capital cost certificate certified by CA	
14	Bank Statement	
15	Debt details from concerned financial institution	
16	Proof of date of commercial operation-Photocopy of first	
	A) Ticket sold	
	B) Food & Beverage bill	
	C) Copy of first bill of service/facility provided	
	D) Any other legally acceptable proof to prove the date of commercial operation.	
17	Photographs (IPG Format not more than 500 KB Size) from 3 different angles (building & Projection-Screening area)	
18	List of Employees with copy of their Aadhar/EPFO Reg. certificate (If applicable)	
19	FSSAI Certificate if Cafeteria/Food & Beverage facility is available	
20	NOC from Pollution Control Board /Fire safety dept./ Competent authority/local body	
21	Cancelled cheque of the firm/company	
22	Copy of PAN card	
23	Copy of photo ID proof (Aadhar card/Voter ID/Passport etc.)	
24	Copy of vendor form	
25	Other documents if any.	

Seal and Signature of the applicant

UNDERTAKING/ DECLARATION

To be submitted by the Applicant on a Non-judicial Stamp paper of Rs. 50/-(Min) (duly affixed with Notarial Stamp; and with Notary Seal & Notary Registration number)

I/We, hereby solemnly affirm and declare as under:

- (a) That the aforesaid Company/Firm/Establishment(s) have not availed reimbursement/subsidy/grant/incentive under any Scheme operated by Central Govt / State Govt./ Financial Institution etc.
- (b) I hereby solemnly affirm that the information given above is correct. In case any declaration/ information is found wrong or incorrect or misleading, I do hereby bind myself & my unit and undertake to pay to the Government on demand the full amount received as reimbursement/subsidy/grant/incentive within thirty (30) days of the demand being made to me in writing.
- (c) I will be solely responsible for any outcome whatsoever if arises in future and ready to peruse the legal process in case of violation of any promised term as mentioned above.

Authrised Signature

Name

Company

Designation

Contact no and email